साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(बिहार सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME, 2013

अधिसूचना संख्या – 01 Com/Transformer Scheme- 88 / 2013 / दिनांक 27.06.2013

बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007, स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स तथा विद्युत् अधिनियम 2003 के तत्संबंधी प्रावधानों के अधीन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड निम्न विभव विद्युत (LT) उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME, 2013 को 01.07.2013 के प्रभाव से निम्नलिखित प्रावधान लागू करती हैं।

(OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME, 2013)

1. सामान्य प्रावधान

1.1 यह योजना OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME, 2013 के नाम से जानी जायेगी।

1.2 यह योजना 01.07.2013 के तिथि से एसबीपीडीसीएल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में लागू होगी।

1.3 यह योजना बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता, 2007, विद्युत् अधिनियम, 2003 तथा स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स के प्रावधानों के अधीन होगी।

1.4 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड उपभोक्ताओं के हित में अथवा सांविधिक एवं विधिक प्रावधानों के तहत इस योजना में समय–समय पर वांछित बदलाव के लिए स्वतंत्र होगी।

1.5 सभी संशोधन उपभोक्ताओं को विभागीय सूचना तथा समाचार पत्रों में सूचना के माध्यम से दी जायेगी।

1.6 इस अधिसूचना की प्रति विद्युत् वितरण लाईसेन्सी के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध है।

1.7 **परिभाषा** : इस योजना के लिए बिहार विद्युत् आपूर्ति अधिनियम 2007 / विद्युत् अधिनियम 2003 में दी गई परिभाषा लागू होगी।

2 योजना से उपभोक्ताओं को मुख्य लाभ

2.1 सम्बन्धित उपभोक्ता एवं उपभोक्ता समूह के लिए उनके पूर्ण स्वामित्व में डेडिकेटेड ट्रान्सफार्मर की सुविधा।

2.2 इससे अन्य उपभोक्ताओं को विधुत् सम्बन्ध नहीं दिया जायेगा।

2.3 लो–वोल्टेज, वोल्टेज फलकचूएशन के कारण बहुमूल्य विद्युत् उपकरणो के जलने की समस्या से छूटकारा। तीनों फेजों में सही वोल्टेज पर विद्युत् आपूर्त्ति।

2.4 कम एल0 टी0 तार की लम्बाई एवं क्षमता के हिसाब से हीं विधुत् भार होने के कारण ट्रान्सफॉर्मर के जलने / खराब होने एवं बार–बार फ्यूज उड़ने की समस्या से छूटकारा।

2.5 नये एवं पुराने ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन लागत मूल पर कम्पनी से कराने का भी विकल्प।

2.6 निम्न विभव (LT) उपभोक्ता को निम्न विभव के दर पर उच्च विभव उपभोक्ता को मिलने वाली लाभ।

2.7 इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को कॉमन वितरण ट्रांसफॉर्मर के बार–बार जलने/ क्षतिग्रस्त होने /ओवर लोडेड होने के कारण होने वाली असुविधा तथा अनावश्यक ट्रिपिंग से मुक्ति।

3. प्रावधान

3.1 यह योजना 7 किलोवाट/10 एच० पी० या उससे अधिक तथा 70 किलोवाट/99 एच0 पी0 या उससे कम के स्वीकृत भार अथवा संविदा भार वाले सभी लो–टेनशन (LT) उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है।

3.2 यह योजना 7 किलोवाट/10 एच0 पी0 से कम स्वीकृत भार अथवा संविदा भार वाले निम्न विभव (LT) उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

3.3 इस योजना का उपयोग आवासीय अपार्टमेन्ट, वाणिज्यक परिसर, प्रशासनिक कार्यालयों के परिसर, दुकान, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, ग्रामीण उपभोक्ता अथवा ग्रामीण उपभोक्ताओं का समूह, शहरी उपभोक्ता अथवा शहरी उपभोक्ताओं का समूह तथा समरूप उपभोक्ता श्रेणी के लिए उपलब्ध हैं जिनका कुल आवेदित अथवा स्वीकृत निम्न विभव पर विद्युत् भार 7 किलोवाट/10 एच0 पी0 या उससे अधिक पर 70 किलोवाट/99 एच0 पी0 या उससे कम हो।

3.4 यह योजना उपभोक्ता निम्न विभव (LT) में विद्युत् संबंध के लिए नये आवेदको तथा सभी नियमित विभव उपभोक्ताओं के लिए भी हैं।

4. योजना की विवरणी

4.1 इस योजना के तहत निम्न विभव (LT) के वर्तमान उपभोक्ता या उनका समूह अथवा नये विद्युत् संबंध के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता या उनका समूह इस बात का विकल्प अपने विहित आवेदन में देगें कि वह अपने निम्न विभव (LT) पर विद्युत् आपूर्ति के लिए खुद ही निर्धारित क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर की अधिष्ठापना अपने परिसर में लाईसेन्सी द्वारा स्वीकृत तकनीकि व्यवस्था के अनुरूप स्वंय करेंगे या लाइसेंसी के द्वारा करायेंगे।

4.2 अधिष्ठापित वितरण ट्रांसफॉर्मर का रख–रखाव एवं दोषपूर्ण होने पर बदलने का कार्य संबधित उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह स्वंय करेंगे।

4.3 वर्तमान उपभोक्ता या उनके समूह अथवा नये विद्युत् सम्बन्ध के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता या उनके समूह को यह विकल्प होगा कि वह लाईसेन्सी द्वारा ही इस योजना के तहत वितरण ट्रान्सफॉर्मर के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का अनुरोध करें।

4.4 ऐसे अनुरोध पर लाईसेन्सी, निर्धारित दर पर आवेदक को नये वितरण ट्रान्सफॉर्मर एवं अन्य सामान उपलब्धता के आधार पर अधिष्ठापित करा सकता है, तथापि, आवेदक के लिए वितरण ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध कराना लाईसेन्सी की बाध्यता नहीं होगी।

4.5 एसबीपीडीसीएल के पुराने ट्रान्सफॉर्मर भी उपलब्धता के आधार पर निर्धारित दर (नये ट्रान्सफॉर्मर के वर्तमान दर का एक तिहाई) पर अधिष्ठापित किये जा सकते है।

4.6 कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये नये वितरण ट्रान्सफॉर्मर के गारंटी अवधि में दोषपूर्ण होने पर जॉचोपरान्त उपभोक्ता/उपभोक्ता समूह द्वारा दोषपूर्ण ट्रान्सफॉर्मर को कम्पनी के संबंधित स्टोर में

जमा कराने के उपरान्त नया ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध कराया जाएगा, परन्तु बदलने का कार्य उपभोक्ता/उपभोक्ता समूह खुद अपने खर्च पर कराएगें।

4.7 इस योजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये गये ट्रांसफॉर्मर से बिना लाभुक (Beneficiary) की सहमति के दूसरे उपभोक्ताओं को विद्युत् संबध नही दिया जायेगा।

4.8 इस योजना के तहत आउट–डोर अन्तर्गत ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन उपभोक्ता परिसर में ऐसे खुले स्थान पर किया जायेगा जहाँ लाईसेन्सी के पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि निरीक्षण के उदेश्य से बिना किसी रोक–टोक अथवा व्यवधान के आ–जा सकें।

4.9 इस योजना के तहत इनडोर वितरण ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन अनुमान्य नहीं है।

4.10 इस योजना के अन्तर्गत ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन लाईसेन्सी द्वारा अनुमोदित तकनीकि योजना तथा व्यवस्था के अनुरूप ही होगी।

4.11 इस योजना के तहत उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह द्वारा इन शर्तो के उल्लंघन होने पर अधिष्ठापित वितरण ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति को विच्छेदित कर उपभोक्तों को दिए गए योजना का लाभ को निरस्त किया सकता है।

5. ट्रांसफॉर्मर की क्षमता एवं मानक

5.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता के समूह को स्वीकृत भार अथवा उसके द्वारा आवेदित कुल विद्युत् भार के अधिक कम 150 प्रतिशत क्षमता का ही वितरण ट्रांसफर्मर निम्न विभव (LT) उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं का समूह अपने परिसर में अधिष्ठापित करा सकता है।

5.2 अगर 150 प्रतिशत क्षमता के अनुरूप वितरण ट्रांसफर्मर उपलब्ध नहीं हो तो वितरण ट्रांसफर्मर की क्षमता में 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षमता अनुमान्य होगी, ताकि उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं के समूह स्टैण्र्ड कैपिसिटी ट्रांसफॉर्मर का क्रय कर सकें।

5.3 इस योजना के तहत कम से कम तीन स्टार रेटेड ट्रांसफॉर्मर लगाए जायेंगे जो संबंधित आई०एस०एस० / बी०आई०एस /बी०ई०ई० अथवा अन्य समतुल्य मानकों के अनुरूप होगें।

5.4 इस योजना के तहत उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह निर्धारित ट्रांसफॉर्मर क्षमता से अधिक क्षमता के वितरण ट्रांसफॉर्मर का उपभोग करता हुआ पाया जाता है तो बिहार विद्युत् आपूर्ति अधिनियम 2007 के तहत आवश्य कार्रवाई की जायेगी एवं उनकों इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

6. प्रपत्र

6.1 यह योजना का लाभ उठाने के लिए नये आवेदक अथवा वर्तमान उपभोक्ता निम्नलिखित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है :–

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

OWN YOUR TRANSFORMER SCHEME-2013 के लिए आवेदन

क्रमांक	विवरणी	
1	आवेदक / आवेदक के समूह का नाम	
2	आवेदक / आवेदक के समूह का पता	
3	क्या आवेदक /आवेदक के समूह नये विद्युत् संबंध के लिए आवेदक है अथवा वर्तमान में उपभोक्ता है – नए विद्युत् संबंध आवेदक है / वर्तमान में उपभोक्ता है।	
4	नये विद्युत् संबंध के आवेदन के लिए जमा आवेदन शुल्क का रसीद संख्या, तिथि तथा अन्य विवरणी (भुगतान राशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।)	
5.	नये विद्युत् संबंध के लिए आवेदित / कुल विद्युत् भार (किलोवाट में)	
6.	वर्तमान उपभोक्ता /उपभोक्ता समूह का आवेदित/ कुल विद्युत् भार (किलोवाट में)	
7.	वर्तमान उपभोक्ता /उपभोक्ता समूह का उपभोक्ता संख्या (पुराने विपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)	
7.	प्रस्तावित वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता (केवीए में)	
8.	क्या आवेदक/ आवेदक समूह / उपभोक्ता समूह के परिसरों के निकट लाईसेन्सी का 11केवीए वितरण तंत्र उपलब्ध है? –हाँ/नहीं	
9.	अगर नही, तो 11 केवीए वितरण तंत्र कितनी दूरी पर उपलब्ध है? (मीटर/किलोमीटर में)	
10.	क्या आवेदक/उपभोक्ता के परिसर में ही परिसर के सामने ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन के लिए प्रर्याप्त जगह उपलब्ध है ? – हाँ/नहीं	
11.	क्या आवेदक ट्रान्सफॉर्मर की व्यवस्था खुद करेगा या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से वितरण ट्रान्सफॉर्मर लेने के लिए इच्छुक है?	
12.	विद्युत् आपूर्ति प्रशाखा का नाम	विद्युत् आपूर्ति प्रशाखा
13.	विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डल का नाम	विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डल

तिथि :

स्थान :

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

7. विनियामक तथा विधिक प्रावधान

7.1 यह योजना तथा इसके प्रावधान बिहार विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा निर्गत आदेश, बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007 विद्युत् अधिनियम 2003, स्टैण्डर्स आफ परफोरमेन्स के अधीन होगी तथा इनके प्रावधानों अथवा इनमें हुए संशोधनों के अनुरूप संशोधित मानी जायेगी।

7.2 इस योजना का ऐसा कोई भी प्रावधान जो बिहार विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा निर्गत आदेश, बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007 विद्युत् अधिनियम 2003, स्टैण्डर्स आफ परफोरमेन्स के अनुरूप नहीं है, उस सीमा तक बिहार विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा निर्गत आदेश, बिहार विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007 विद्युत् अधिनियम 2003 , स्टैण्डर्स आफ परफोरमेन्स के प्रावधानों के अनुरूप स्वतः संशोधित समझी जायेगी।

ह0–

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)